सत्यमेव जयते

राजस्थान राज–पत्र साधारण	RAJASTHAN GAZETTE Ordinary
साधिकार प्रकाशित	**Published by Authority**

जिल्द 78 ज्येष्ठ 14, गुरुवार, शाके 1948– जून 4 , 2026 अंक 10
Vol. 78 Jyaistha 14 , Thursday, Saka 1948–June 4, 2026 No. 10

भाग 7
विभिन्न विभागों में प्रदायों के लिए टेण्डर मांगने की सूचनाओं को सम्मिलित करते हुए सार्वजनिक और निजी विज्ञापन आदि।

नाम / उपनाग / सरनेम–परिर्वतन करने का शपथ पत्र
(नियम 8 राजस्थान सेवा नियम वित्त विभाग के आदेश सं. एफ 1 / 12 / एफ.डी.ई. आर. 187, दिनांक 10–457 की अनुपालना में)

इस बन्ध पत्र द्वारा में निम्न हस्ताक्षरकर्ता मोहम्मद इकबाल (MOHAMMAD TOBAL) (नया नाम) जो अभी इससे पूर्व मोहम्मद इकबाल शेख (MOHAMMAD IKBAL SHEKHA) (पुराना नाम) कहलाता था एवं जो (स्टेनो ग्रेड–प्रथम) न्यायिक कर्मचारी द्वारा उस समय धारित किये गये पद नाम के का रूप श्री विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों एवं बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं बालक संरक्षण अधिकार आयोग 2005, पोक्सो न्यायालय, बालोतरा, जिला बालोतरा (राज.) में नियुक्त हूँ, एतद् द्वाराः–

1. स्वंय तथा मेरी पत्नी बच्चो जो पूर्णतया आश्रित हो. मेरे पूर्व नाम मोहम्मद इकबाल शेख (MOHAMMAD IKBAL SHEKHA) को त्यागता हूं तथा उसके स्थान पर उसी तारीख से नाम मोहम्मद इकबाल (MOHAMMAD IQBAL) तथा उपनाम ग्रहण करता हूँ इसलिए मैं मेरी पत्नी बच्चे दूर के बच्चे एतद्द्वारा मेरे पूर्व नाम मोहम्मद इकबाल शेख (MOHAMMAD IKBAL, SHEKHA) (केवल) से न जाने जाए तथा पहचाने जाए बल्कि मेरे द्वारा ग्रहण किये गये उपनाम गोहम्मद इकबाल (MOHAMMAD IQBAL) द्वारा ही जाने जाए।
2. उक्त मेरे निश्चय की साक्ष्य के प्रयोजन के लिए घोषणा करता हूं कि मैं एतद्द्वारा सभी समय निजी या सार्वजनिक सभी अभिलेखों बन्ध पत्रो प्रलेखो एवं समस्त कार्यवाहियों व्यवहारों एवं लेन देन में तथा सभी अवसरों पर अपने पूर्व नाम मोहम्मद इकबाल शेख (MOHAMMAD IKBAL SHEKHA) तथा उप नाम (सिर्फ) के स्थान पर एवं उसके परिवर्तन में मोहम्मद इकबाल (MOHAMMAD IQBAL) नाम के रूप में तथा उप नाम के रूप में प्रयुक्त करूंगा एवं हस्ताक्षर करूंगा।
3. स्पष्ट एतद्द्वारा तथा सभी समय सभी व्यक्तियों को मुझे मेरी पत्नी मेरे बच्चे दूर के बच्चो को तदनुसार नये रखे नाम मोहम्मद इकबाल (MOHAMMAD IQBAL) उप नाम से सम्बोधित करने के लिए प्राधिकृत करता हूं तथा उसके लिए निवेदन करता हूं।

इसके साक्षी में, मैंने अपने पूर्व नाम एवं नये नाम मोहम्द इकबाल शेख (MOHAMMAD IKBAL SHEKHA) तथा मोहम्मद इकबाल (MOHAMMAD IQBAL) का वर्णन किया है, तथा दिनांक 20 / 02 / 2026 को हस्ताक्षर किये है।

हस्ताक्षरित निम्नलिखित की उपस्थिति में उपर्युक्त नाम मोहम्मद इकबाल (MOHAMMAD IQBAL) द्वारा जो पूर्व में मोहम्मद इकबाल शेख (MOHAMMAD IKBAL SHEKHA) कहलाया हस्ताक्षर किये है।

मोहम्मद इकबाल

साक्षी हस्ताक्षर

1. अजीज खान
   न्यायधीश
   पारिवारिक न्यायालय
   बलोतरा (राज.)
2. रामचन्द्र चौहान
   वरिष्ठ सिविल नयायीधिश एवं
   अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
   संख्या – 1, बालोतरा (राज.)

नया नाम : मोहम्मद इकबाल (MOHAMMAD IQBAL)
S/O उमराव खां (UMRAO KHAN)
पुराना नाम : मोहम्मद इकबाल शेख (MOHAMMAD IKBAL SHEKHA)
पता : आदर्श कोलोनी, रेलवे स्टेशन, समदड़ी स्टेशन
तहसील – समदड़ी जिला बालोतरा–342021 (राज.)

प्रतिहस्ताक्षर
राजेन्द्र बंशीवाल
विशिष्ठ न्यायाधीश
अपराधों से बालकों का सरक्षण
अधिनियम 2012 एवं बालक अधिकार
सरंक्षण आयोग अधिनियम 2006
बलोतरा (राज.)

7773

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।